क्रम-संख्या–588

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1671/सत्रह–वि–1–1 (क) 27-95

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 25 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) यह 21 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि. नियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,--

(एक) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(10) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उद्गृहीत और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के पचास प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य की संचित निधि से और उसके बाहर निकालेगी और निकाली गई धनराशि को निम्नलिखित अनुपात में निम्नांकित नाम की चार पृथक निधियों के खाते में जमा करेगी, अर्थात् :--

(क) उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान और विकास निधि को छत्तीस प्रतिशत ;

(ख) उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्ट्रियों पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि को चौबीस प्रतिशत ;

(ग) उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि को तीस प्रतिशत :

प्रतिबन्ध यह है कि इस निधि के लेखे में जमा की जाने वाली कुल धनराशि पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक न होगी और उससे अधिक उपलब्ध किसी धनराशि को खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निधियों के लेखे में क्रमशः साठ प्रतिशत और चालीस प्रतिशत के अनुपात में जमा किया जायगा ;

(घ) कल्याण निधि के लिये दस प्रतिशत।" ;

(दो) उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(12) उक्त चारों निधियों का अनुरक्षण और प्रवर्तन एक समिति में निहित होगा जो उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति कही जायगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्--

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चीनी उद्योग विभाग जो समिति का अध्यक्ष और संयोजक होगा ;

(ख) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो।" ;

(तीन) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(13) उपधारा (12) में अभिदिष्ट समिति एक निगमित निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, --

(एक) निधियों की धनराशि को ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, विनिहित करना और निधियों के नामों में इंगित उद्देश्यों पर व्यय करना; और

(दो) इस शर्त के साथ एक निधि से दूसरी निधि में धनराशि अन्तरित करना कि ऐसी निधि की पूर्ति, उस निधि जिसमें धनराशि अन्तरित की गयी थी, से पुनः धनराशि अन्तरित करके की जायगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3--(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर अध्या संख सन् 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1671 (2)/XVII-V-1—1(KA) 27-1995

*Dated Lucknow, August 25, 1995*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Kraya-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1995.

# THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT NO. 27 OF 1995)

***[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]***

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.*

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth year of the Republic of India as follows :—

**Short title and commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 21, 1995.

**Amendment of section 3 of U. P. Act no. IX of 1961**

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter referred to as principal Act,—

(i) *for* sub-section (10), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(10) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to fifty per cent of the proceeds of the tax levied under clause (*a*) of sub-section (1) recovered by it during the preceding financial year and place the amount so withdrawn to the credit of the four separate funds named below in the following proportions, namely :—

(*a*) thirty six per cent to the Uttar Pradesh Sugarcane Research and Development Fund ;

(*b*) twenty four per cent to the Uttar Pradesh Sugar Factories Rehabilitation, Modernisation and Establishment Fund ;

(*c*) thirty per cent to the Uttar Pradesh Loan Assistance for Payment of Sugarcane Price Fund :

Provided that the aggregate amount to be placed at the credit of this Fund shall not exceed rupees fifteen crores and any amount beyond that available shall instead be credited to the Funds mentioned in clauses (*a*) and (*b*) in the proportion of sixty per cent and forty per cent respectively;

(*d*) ten per cent to the Kalyan Nidhi.";

(ii) *for* sub-section (12) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(12) The maintenance and the operation of the said four Funds shall be vested in a Committee, to be called the Uttar Pradesh Sugar Special Funds Committee, consisting of the following persons, namely:—

(*a*) the Secretary to the State Government in the Sugar Industry Department, who shall be the Chairmen and convenor of the Committee :

(*b*) the Cane Commissioner, Uttar Pradesh ;

(*c*) the Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.";

(iii) *for* sub-section (13), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(13) The Committee referred to in sub-section (12) shall be a body corporate and shall have the power to,—

(i) invest moneys belonging to the Funds in such manner as it deems fit and to spend them on the objects indicated in their respective names of the Funds ; and

(ii) transfer moneys from one Fund to another with the condition that such Fund shall be replenished by retransferring the moneys from the Fund it was transferred to."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 222 सा० विधा०-(2829)--1995--850 (मेक०)।